

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट
संकेत कुमार अग्रवाल एवं ए.एन.आर बनाम एपीजी लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड

[2023] 5 एस.सी.आर.

संकेत कुमार अग्रवाल एवं ए.एन.आर
बनाम
एपीजी लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड

(सिविल अपील क्रमांक 748 ऑफ़ 2023)

मई 01, 2023

**[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई
और जेबी पारदीवाला, जे.]**

दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016: एस.एस. 61, 62, 238 ए - राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण नियम 2016 - आरआर. 3, 22, 103, 104 - परिसीमा अधिनियम, 1963 - एस. 12(1) एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ धारा 61(2) के तहत अपील दायर करने की सीमा अवधि -- तथ्यों पर एनसीएलटी द्वारा 26.08.2022 को धारा 7 के तहत आवेदन खारिज - इसके बाद अपीलकर्ता ने एनसीएलटी के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन दायर किया, जिसे दिनांक 15.09.2022 को वेबसाइट पर अपलोड किया गया और अपीलकर्ता को प्रदान किया गया - पांच दिनों की देरी की माफी के लिए आवेदन के साथ 10.10.2022 को एनसीएलटी के समक्ष अपील की ई-फाइलिंग - 31.10.2022 को दायर अपील की भौतिक प्रति - एनसीएलटी ने परिसीमा के आधार पर अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अपील 10.10.2022 को ई-पोर्टल के माध्यम से दर्ज की गई थी, जो एनसीएलटी के आदेश के 46 वें दिन था - आयोजित अपील पर धारा 61(2) के तहत अपील दायर करने की सीमा की गणना के लिए आदेश की घोषणा की तारीख और प्रमाणित प्रति प्रदान करने में लगने वाला समय शामिल नहीं है - इस प्रकार, जिस तारीख को एनसीएलटी द्वारा 26.08.2022 को आदेश सुनाया गया था, उसे सीमा की गणना से **बाहर रखना होगा**। 26.08.2022 के बीच जब एनसीएलटी द्वारा आदेश सुनाया गया था और 10.10.2022 जब अपील ई-दाखिल की गई थी, उस तारीख को छोड़कर 45 दिनों की अवधि जिस पर आदेश सुनाया गया था - एनसीएलटी ने गलती से माना कि अपील 46 वें दिन दर्ज की गई थी जबकि सही गणना करने पर, अपील 45 वें दिन दर्ज की गई थी - अपीलकर्ता ने उचित प्रयास किया और आदेश की घोषणा पर प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया जो 15.09.2022 को प्रदान की गई थी - इसलिए, धारा 61(2) के तहत सीमा की अवधि निर्धारित करते समय अदालत द्वारा आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदान करने के लिए 5.09.2022 और 15.09.2022 के बीच ली गई

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संकेत कुमार अग्रवाल एवं ए.एन.आर बनाम एपीजी लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड

10 दिनों की अवधि को बाहर रखा जाना चाहिए - इस प्रकार, एनसीएलएटी ने परिसीमा के आधार पर अपील को खारिज करने में गलती की।

सूचना प्रौद्योगिकी: न्यायाधिकरणों में ई-फाइलिंग - एनसीएलएटी ने भौतिक रूप से अपील दाखिल करना अनिवार्य बनाया - माना : यह पूरी तरह से समझ से परे है कि एनसीएलएटी को ई-फाइलिंग के अलावा फिजिकल फाइलिंग पर जोर क्यों देना चाहिए - यह अनावश्यक रूप से वादियों और बार पर बोझ डालता है और ई-फाइलिंग को हतोत्साहित करता है - यह प्रयास का दोहराव है, इसमें समय लगता है और खर्च भी बढ़ता है - न्यायपालिका को आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी के अनुरूप ढलना होगा -

ई-फाइलों से असहज न्यायाधीशों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है - केंद्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक मोड में काम करने के लिए निर्बाध परिवर्तन सुनिश्चित करे।

अपील को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने कहा:

1.1 वर्तमान मामले में, माना जाता है कि अपील 10 अक्टूबर 2022 को ई-दायर की गई थी और यहां तक कि एक भौतिक प्रति उस तारीख से पहले 31 अक्टूबर 2022 को दर्ज की गई थी जिस दिन रजिस्ट्रार का आदेश दिनांक 21 अक्टूबर 2022 प्रभावी होना था। 21 अक्टूबर 2022 का आदेश बाद में 24 दिसंबर 2022 को वापस ले लिया गया। 24 दिसंबर 2022 का आदेश अब स्पष्ट करता है कि सीमा की गणना ई-फाइलिंग की तारीख से प्रभावी होगी, लेकिन ई-फाइलिंग के सात दिनों के भीतर एक भौतिक प्रति दाखिल करनी होगी। . [पैरा 22] [1172-सी-डी]

1.2 वर्तमान मामले में, एनसीएलटी द्वारा 26 अगस्त 2022 को आदेश सुनाया गया था। एनसीएलटी नियम 2016 के नियम 3 में कहा गया है कि जिस तारीख से सीमा की अवधि की गणना की जानी है (यानी, आदेश की घोषणा की तारीख)) को बाहर करना होगा। इसलिए, जिस तारीख को एनसीएलटी द्वारा आदेश सुनाया गया था, यानी 26 अगस्त 2022 को परिसीमा की गणना से बाहर रखना होगा। यह परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 12(1) के अनुरूप है। परिसीमा अधिनियम 1963 के प्रावधान, अन्य बातों के साथ-साथ, आईबीसी की धारा 238ए के आधार पर एनसीएलटी के समक्ष अपील पर लागू होते हैं। [पैरा 23][1172-ई-एफ]

1.3 26 अगस्त 2022 के बीच, जब एनसीएलटी द्वारा आदेश सुनाया गया था, और 10 अक्टूबर 2022, जब अपील ई-फाइल की गई थी, उस तारीख को छोड़कर 45 दिनों की अवधि बीत गई जिस दिन आदेश सुनाया गया था। एनसीएलटी ने गलती से इस आधार पर कार्यवाही की कि अपील 46 वें दिन दर्ज की गई थी जबकि सही गणना के अनुसार अपील 45 वें दिन दर्ज की गई थी। 30 दिनों की मूल अवधि से अधिक 15 दिनों तक की देरी को माफ करने की शक्ति एनसीएलटी की विवेकाधीन शक्ति के

अंतर्गत है। अपील 45 दिनों की बाहरी सीमा के भीतर स्थापित की गई थी। [पैरा 24,25][1172-एच; 1173-ए, सी-डी]

1.4 वर्तमान मामले में, प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन 2.09.2022 को दिल्ली से चेन्नई भेजा गया था, जो धारा 61(2) में निर्दिष्ट 30 दिनों की सीमा अवधि के भीतर 5.09.2022 को प्राप्त हुआ था। यह पहलू उन तथ्यों के विपरीत है जो वी नागराजन के मामले में इस न्यायालय के फैसले में प्राप्त हुए थे, जहां प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन भी दायर नहीं किया गया था। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता ने उचित परिश्रम किया और एनएसएलएटी नियम 2016 के नियम 22(2) के संदर्भ में आदेश की घोषणा पर प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया। प्रमाणित प्रति अपीलकर्ता को 15.09.2022 को प्रदान की गई थी। इसलिए, आईबीसी की धारा 61(2) के तहत सीमा की अवधि निर्धारित करते समय अदालत द्वारा आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदान करने के लिए 5.09.2022 और 15.09.2022 के बीच ली गई 10 दिनों की अवधि को बाहर रखा जाना चाहिए। इस प्रकार, एनएसएलएटी ने सीमा के आधार पर अपील को खारिज करने में गलती की। अपीलकर्ता द्वारा 5 दिनों की अवधि (अपील दायर करने के लिए निर्धारित 30 दिनों की अवधि से अधिक) को माफ करने के लिए जो स्पष्टीकरण दिया गया था, वह पर्याप्त था और कानून के अनुसार देरी को माफ किया जाना चाहिए था। एनएसएलएटी का आदेश रद्द किया जाता है। [पैरा 28, 29, 32][1175-सी-जी; 1176-एफ]

2. न्यायालय ई-फाइलिंग की तारीख से या फाइलिंग काउंटर पर अपील की प्रस्तुति से शुरू होगी या नहीं, इस पर प्रशासनिक मार्गदर्शन प्रदान करने में एनएसएलएटी की ओर से फ़िलप-फ्लॉप को नोटिस करने में असफल नहीं हो सकता है। तकनीकी प्रगति के साथ, देश की न्यायपालिका और न्यायाधिकरणों को ई-फाइलिंग की ओर बढ़ना चाहिए। यह प्रक्रिया पहलेही शुरू हो चुकी है और अपरिवर्तनीय है। केंद्र सरकार को न्यायाधिकरणों में ई-फाइलिंग को प्रोत्साहित करने के लिए नियमों पर नए सिरे से विचार करना चाहिए। शायद आगे बढ़ने का एक तरीका न्यायाधिकरणों में स्थिति का व्यापक मूल्यांकन करने और नियामक परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए एक कार्य समूह का गठन करना होगा। इसके अलावा, यह पूरी तरह से समझ से परे है कि एनएसएलएटी को ई-फाइलिंग के अलावा फिजिकल फाइलिंग पर जोर क्यों देना चाहिए। इससे वादियों और बार पर अनावश्यक रूप से बोझ पड़ता है और यह ई-फाइलिंग को हतोत्साहित करता है। एक वकील या वादी जो ई-फाइल दस्तावेजों के अलावा भौतिक प्रतियां दाखिल करने के लिए मजबूर है, उसके पास ई-फाइलिंग का सहारा लेने का कोई ठोस कारण नहीं होगा। प्रयास का यह दोहराव समय लेने वाला है। इससे खर्चा बढ़ जाता है। यह अपने पीछे कार्बन पदचिह्न छोड़ता है जिसे मिटाना मुश्किल है। न्यायिक प्रक्रिया परंपरागत रूप से कागजों

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संकेत कुमार अग्रवाल एवं ए.एन.आर बनाम एपीजी लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड

की खपत करती रही है। यह मॉडल पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है। यदि कुछ न्यायाधीश ई-फाइलों को लेकर असहज हैं, तो इसका उत्तर यह है कि उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए और काम करने के पुराने और पुराने तरीकों को जारी न रखा जाए। न्यायपालिका को आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी के अनुरूप ढलना होगा। न्यायाधिकरण कोई अपवाद नहीं हो सकते। यह अब पसंद का मामला नहीं रह सकता। आईबीसी आर्थिक सुधारों में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसने दिवालियापन और दिवालियेपन से संबंधित कानून को मौलिक रूप से नया आकार दिया है। कानून को जिस तरीके से प्रशासित किया जाता है उसे प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल बिठाना होगा। केंद्र सरकार को अपनी नियम बनाने की क्षमता और न्यायाधिकरणों के प्रशासनिक प्रमुखों दोनों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में काम करने के लिए एक निर्बाध परिवर्तन सुनिश्चित करना चाहिए। [पैरा 30][1175-जी-एच; 1176-ए-डी]

वी नागराजन बनाम एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड और अन्य
(2022) 2 एससीसी 244 – विशिष्ट।

केस कानून संदर्भ

(2022) 2 एससीसी 244

विशिष्ट

पैरा 28

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 748/2023

आईए नंबर 1025/2022 में चेन्नई में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के दिनांक 09.01.2023 के निर्णय और आदेश से
कंपनी अपील (एटी) (सीएच) (इं.) संख्या 418/2022।

सुश्री मयूरी रघुवंशी, वीपी सिंह, अक्षत सिंह, सुश्री दच्छिता शाही, व्योम रघुवंशी, भानु गुप्ता,
अपीलकर्ताओं के वकील।

सुश्री राशि बंसल, प्रतिवादी की वकील।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

डॉ धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई

1. ग्रहण किया गया ।

2. यह अपील दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 की धारा 62 के तहत
राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के 9 जनवरी 2023 के फैसले से उत्पन्न हुई

है। एनसीएलएटी ने सीमा के आधार पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल 3 के आदेश के खिलाफ अपील खारिज कर दी।

3. अपीलकर्ता ने जून 2021 में आईबीसी की धारा 7 के तहत प्रतिवादी के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। आवेदन को एनसीएलएटी ने 26 अगस्त 2022 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया था। 2 सितंबर 2022 को, अपीलकर्ता ने एनसीएलएटी द्वारा सुनाए गए आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए एक आवेदन दायर किया। आवेदन एनसीएलएटी की रजिस्ट्री को 5 सितंबर 2022 को प्राप्त हुआ था। 15 सितंबर 2022 को आदेश एनसीएलएटी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था और उसी दिन अपीलकर्ता को एक प्रमाणित प्रति प्रदान की गई थी। अपीलकर्ता ने एनसीएलएटी के समक्ष 10 अक्टूबर 2022 को ई-फाइलिंग मोड में एक इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन के साथ पांच दिनों की देरी की माफी की मांग करते हुए अपील दर्ज की। अपील की एक भौतिक प्रति 31 अक्टूबर 2022 को दायर की गई थी।

4. अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि अपील सार्वजनिक डोमेन में आदेश उपलब्ध होने की तारीख यानी 15 सितंबर 2022 से सीमा की अवधि के भीतर दायर की गई थी। हालांकि, अत्यधिक एहतियात के तौर पर, अपीलकर्ता ने 26 अगस्त 2022 पर विचार किया था वह तारीख होगी जिससे सीमा शुरू होगी। अपीलकर्ता ने कहा कि अपील दायर करने के लिए 30 दिनों की निर्धारित समय अवधि 10 दिनों के बहिष्करण (प्रमाणित प्रति प्रदान करने में लगने वाले समय के कारण 5 सितंबर 2022 से 15 सितंबर 2022 तक) के बाद 5 अक्टूबर 2022 को समाप्त हो गई। अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि त्योहारी सीजन के दौरान कानूनी सलाह प्राप्त करने, दस्तावेजों का मिलान करने और वकील से जुड़ने के लिए आवश्यक अतिरिक्त समय के कारण अपील दायर करने में 5 दिनों की अनजाने में देरी हुई।

5. घटनाओं के उपरोक्त अनुक्रम की पृष्ठभूमि में, एनसीएलएटी के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या अपील सीमा के भीतर स्थापित की गई थी। अपने विवादित आदेश में, एनसीएलएटी ने पाया कि अपील 10 अक्टूबर 2022 को ई-पोर्टल के माध्यम से दर्ज की गई थी, जो एनसीएलएटी के आदेश के 46 वें दिन था। यह देखा गया कि आईबीसी की धारा 61(2) निर्णायक प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिन की समय सीमा निर्धारित करती है, लेकिन पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर अपीलीय न्यायाधिकरण 15 दिनों तक की देरी को माफ कर सकता है। इसके अलावा, यह माना गया कि आईबीसी की धारा 61 की सामग्री यह कल्पना नहीं करती है कि किसी पीड़ित व्यक्ति को अपील करने से पहले विवादित आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने तक इंतजार करना होगा। न्यायाधिकरण ने कहा:

31. इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि दिनांक 26.08.2022 को 'आक्षेपित आदेश की घोषणा' के बाद '30 दिनों की समाप्ति' 24.09.2022 को थी। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित 'आदेश' के संबंध में किसी भी 'पीड़ित व्यक्ति' द्वारा 'अपील' को प्राथमिकता देने की 30 दिन की अवधि, दिवाला और दिवालियापन की धारा 61(2) के अनुसार निर्धारित 'समय सीमा' है। कोड 2016। यदि एक 'अपीलीय न्यायाधिकरण' ('एनसीएलए टी'), एक 'अपील' को प्राथमिकता देने के संबंध में ('30 की समाप्ति के बाद') 'पर्याप्त कारण' पर संतुष्ट है, जो उसकी 'व्यक्तिपरक संतुष्टि' को दर्शाता है। दिनों की अवधि), तो, संहिता की धारा 61(2) के अनुसार, 'ऐसी अवधि, 15 दिनों से अधिक नहीं होगी'। माना कि, '45 दिन (30 + 15 दिन) की समाप्ति, 09.10.2022 को थी। वास्तव में, अधिकतम 45 दिन बाहरी सीमा (30 + 15 = 45 दिन) है, जिसके परे, 'अपीलीय न्यायाधिकरण' ('एनसीएलएटी'), 'देरी को माफ करने' के लिए किसी भी शक्ति से 'विहीन' है। इस 'ट्रिब्यूनल' की राय के अनुसार I & B कोड, 2016 के तहत निर्धारित शासनादेश के नियम।

(जोर दिया गया)

6. एनसीएलएटी ने माना कि अपीलकर्ताओं के संस्करण के अनुसार भी, 30 दिनों की अवधि 4 अक्टूबर 2022 को समाप्त होगी जबकि अपील 10 अक्टूबर 2022 को दायर की गई थी। यह नोट किया गया कि 10 दिन (26 अगस्त 2022 से 4 सितंबर 2022 तक) आवेदन या प्रमाणित प्रति से पहले खर्च किए गए थे और 15 सितंबर 2022 और 4 अक्टूबर 2022 के बीच 20 दिनों की एक और अवधि बीत गई।

7. एनसीएलएटी ने निष्कर्ष निकाला कि अपील को इस आधार पर सीमा से रोक दिया गया था कि इसे एनसीएलटी के आदेश के बाद 46 वें दिन शुरू किया गया था, जो आईबीसी की धारा 61 के तहत अनुमेय 45 दिनों की बाहरी सीमा से अधिक थी।

8. अपीलकर्ता परिसीमा पर एनसीएलएटी के आदेश पर सवाल उठाता है।

9. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित वकील श्री भानु गुप्ता द्वारा निम्नलिखित दलीलें देने का आग्रह किया गया है:

i. एनसीएलएटी को सीमा अवधि की गणना करते समय 5 सितंबर 2022 से उस अवधि को बाहर करना चाहिए था, जब प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन 15 सितंबर 2022 तक दायर किया गया था जब प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई थी;

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संकेत कुमार अग्रवाल एवं ए.एन.आर बनाम एपीजी लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड

ii. एनसीएलएटी ने सीमा अधिनियम 1963 की धारा 12(2) के संदर्भ में 26 अगस्त 2022 और 10 अक्टूबर 2022 के बीच की पूरी अवधि को गलत तरीके से लिया है, जिस तारीख को आदेश सुनाया गया था, अर्थात् 26 अगस्त 2022 को बाहर करने में विफल रहा है। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण नियम 2016 का नियम 3;

iii. एनसीएलएटी ने वी नागराजन बनाम एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड और अन्य में इस न्यायालय के फैसले सहित न्यायिक मिसालों की अवहेलना की है; और

iv. चूंकि एनसीएलएटी का आदेश 15 सितंबर 2022 को वेबसाइट पर अपलोड किया गया था, जिस दिन प्रमाणित प्रति भी उपलब्ध कराई गई थी, इसलिए बर्खास्तगी के आधार की जानकारी के बिना अपीलकर्ता के लिए केवल आदेश की घोषणा के आधार पर 15 सितंबर 2022 से पहले अपील का मसौदा तैयार करना असंभव था।

10. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित वकील सुश्री राशि बंसल ने आग्रह किया कि:

i. अपील 10 अक्टूबर 2022 को इलेक्ट्रॉनिक मोड में दायर की गई थी;

ii. 3 जनवरी 2021 को, एनसीएलएटी द्वारा ई-फाइलिंग के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया 7 को अधिसूचित करते हुए एक परिपत्र जारी किया गया था, जिसके अनुसार ई-फाइलिंग रसीद के साथ एनसीएलएटी नियम 2016 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भौतिक प्रतियां दाखिल करना आवश्यक था;

iii. 21 अक्टूबर 2022 को, एनसीएलएटी के रजिस्ट्रार द्वारा एक और आदेश जारी किया गया जिसमें स्पष्ट किया गया कि सीमा की अवधि की गणना एनसीएलएटी नियम 2016 के नियम 22 के अनुसार अपील की प्रस्तुति की तारीख से की जाएगी, जिसका प्रभाव था भौतिक प्रति प्रस्तुत करने के बाद ही सीमा की अवधि समाप्त हो जाएगी;

iv. एनसीएलएटी के रजिस्ट्रार द्वारा अधिसूचित 24 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा, 21 अक्टूबर 2022 के पहले के आदेश को वापस ले लिया गया था और पहली बार यह अधिसूचित किया गया था कि सीमा की गणना ई-फाइलिंग की तारीख के संदर्भ में की जाएगी; और

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संकेत कुमार अग्रवाल एवं ए.एन.आर बनाम एपीजी लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड

v. यहां तक कि 10 अक्टूबर 2022 को अपील की ई-फाइलिंग से भी लिमिटेशन का संचालन बंद नहीं होगा और हार्ड कॉपी दाखिल होने पर ही लिमिटेशन का संचालन बंद होगा।

11. अपील में विवाद आईबीसी के तहत एनसीएलटी के एक आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए लागू सीमा की अवधि को लेकर उत्पन्न होता है। IBC एक संपूर्ण कोड है। आईबीसी की धारा 238 में यह प्रावधान है कि वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून या ऐसे किसी कानून के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी भी उपकरण में निहित किसी भी असंगतता के बावजूद संहिता प्रभावी होगी। आईबीसी, परिसीमा अधिनियम 1963, एनसीएलटी नियम 2016 और प्रशासनिक आदेशों के प्रासंगिक प्रावधान नीचे दिए गए हैं और उन्हें बारी-बारी से संदर्भित किया गया है।

12. आईबीसी की धारा 61(1) में कहा गया है कि कंपनी अधिनियम 2013 में किसी भी विपरीत बात के बावजूद, "इस भाग के तहत" न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति एनसीएलटी में अपील कर सकता है। धारा 61 की उपधारा (2) निम्नलिखित शर्तों में सीमा अवधि का प्रावधान करती है:

“61. अपील एवं अपीलीय प्राधिकारी-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत किसी भी विपरीत बात के बावजूद, इस भाग के तहत निर्णायक प्राधिकरण के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है।

(2) उप-धारा (1) के तहत प्रत्येक अपील राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष तीस दिनों के भीतर दायर की जाएगी: बशर्ते कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण तीस की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील दायर करने की अनुमति दे सके। यदि वह संतुष्ट है कि अपील दायर न करने का पर्याप्त कारण था, लेकिन ऐसी अवधि पंद्रह दिनों से अधिक नहीं होगी।

[...]"

धारा 61 की उपधारा (2) तीस दिनों की सीमा अवधि का प्रावधान करती है। धारा 61(2) के प्रावधान में प्रावधान है कि एनएलसीएटी देरी के लिए पर्याप्त कारण प्रदर्शित करने पर तीस दिनों की अवधि से अधिक अधिकतम पंद्रह दिनों की अपील दायर करने की अनुमति दे सकता है।

13. दिवाला और दिवालियापन संहिता (दूसरा संशोधन) अधिनियम 2018 द्वारा आईबीसी में डाली गई धारा 238 ए में परिसीमा अधिनियम 1963 के संबंध में एक

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संकेत कुमार अग्रवाल एवं ए.एन.आर बनाम एपीजी लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड

विशिष्ट प्रावधान शामिल है। धारा 238ए में प्रावधान है कि परिसीमा अधिनियम अन्य बातों के साथ-साथ जहां तक संभव हो एनसीएलएटी के समक्ष अपील करने के लिए लागू होगा :

“238ए. परिसीमा - परिसीमा अधिनियम 1963 के प्रावधान, जहां तक संभव हो, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, ऋण वसूली न्यायाधिकरण या ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही या अपील पर लागू होंगे, जैसी स्थिति हो.

14. केंद्र सरकार ने, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एनसीएलएटी नियम 2016 तैयार किया है। एनसीएलएटी नियम 2016 के नियम 3 में कहा गया है कि प्रदान की गई समय अवधि की गणना के लिए, जिस दिन से गणना की जाने वाली उक्त अवधि को बाहर रखा जाएगा। नियम 3 इस प्रकार प्रदान करता है:

“3. समय अवधि की गणना - जहां अधिनियम और इन नियमों या किसी अन्य कानून के तहत एक अवधि निर्धारित की जाती है या अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा किसी भी कार्य को करने के लिए तय की जाती है, समय की गणना में, जिस दिन से उक्त अवधि की गणना की जानी है। बाहर रखा जाएगा, और यदि अंतिम दिन उस दिन समाप्त होता है जब अपीलीय न्यायाधिकरण का कार्यालय बंद रहता है, तो वह दिन और कोई भी अगला दिन जिस दिन अपीलीय न्यायाधिकरण बंद रहता है, उसे भी बाहर रखा जाएगा।

15. एनसीएलएटी नियम 2016 का भाग III अपील शुरू करने की प्रक्रिया से संबंधित है। नियम 22 में प्रावधान है कि अपील को अपीलीय न्यायाधिकरण के फाइलिंग काउंटर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और चुनौती के तहत आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ होना चाहिए। नियम 22 यह प्रावधान करता है कि:

“22. अपील की प्रस्तुति-

(1) प्रत्येक अपील अपीलकर्ता या याचिकाकर्ता या आवेदक या प्रतिवादी, जैसा भी मामला हो, द्वारा व्यक्तिगत रूप से या इस ओर से नियुक्त उसके विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा तीन प्रतियों में फॉर्म एनसीएलएटी-1 में निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की जाएगी। फाइलिंग काउंटर पर शुल्क और इसका अनुपालन न करना इसे स्वीकार करने से इनकार करने का एक वैध आधार बन सकता है।

(2) प्रत्येक अपील के साथ विवादित आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संकेत कुमार अग्रवाल एवं ए.एन.आर बनाम एपीजी लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड

(3) अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर किए गए सभी दस्तावेजों के साथ तीन प्रतियों में एक सूचकांक होगा जिसमें उनका विवरण और उस पर भुगतान की गई फीस की राशि शामिल होगी।

(4) अपील या याचिका या आवेदन की पर्याप्त संख्या में प्रतियां निर्धारित अनुसार विपरीत पक्ष की सेवा के लिए भी दायर की जाएंगी।

(5) लंबित मामलों में, अन्य सभी आवेदन विपक्षी या उसके वकील या अधिकृत प्रतिनिधि को अग्रिम रूप से उसकी प्रतियाँ तामील कराकर प्रस्तुत किये जायेंगे।

(6) नियमों द्वारा निर्धारित प्रसंस्करण शुल्क, पर्याप्त आकार के आवश्यक संख्या में लिफाफे और निर्धारित नोटिस फॉर्म के साथ अपील के जापन के साथ भरा जाएगा।

16. नियम 103 के संदर्भ में, अपीलीय न्यायाधिकरण इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से अपील या कार्यवाही दायर करने की अनुमति दे सकता है। नियम 103 यह प्रावधान करता है कि:

“103. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भरना - अपीलीय न्यायाधिकरण ऑनलाइन फाइलिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से अपील या कार्यवाही दाखिल करने की अनुमति दे सकता है और ई-मेल या इंटरनेट द्वारा दोषों के सुधार के लिए प्रावधान कर सकता है और ऐसी फाइलिंग में, इन नियमों को यथासंभव अपनाया जाएगा और एक तारीख अलग से अधिसूचित की जाएगी और केंद्र सरकार समय-समय पर इस संबंध में निर्देश जारी कर सकती है।”

17. 3 जनवरी 2021 को, एनसीएलएटी ने अपने ई-फाइलिंग पोर्टल का उपयोग करके वर्चुअल मोड के माध्यम से मामलों की सुनवाई के लिए एक संशोधित एसओपी अधिसूचित किया। एसओपी नोटिस करता है कि अपील और संबंधित दस्तावेजों को दाखिल करने के लिए एक ई-फाइलिंग सुविधा उपलब्ध थी, और "सभी संबंधितों" को "एनसीएलएटी ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से इसका लाभ उठाने" के लिए प्रोत्साहित किया गया है। परिपत्र इस प्रकार प्रदान करता है:

“यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह अनिवार्य है कि विद्वान अधिवक्ता/प्राधिकृत प्रतिनिधि/पार्टी-इन-पर्सन ई-फाइलिंग रसीद के साथ एनसीएलएटी नियम, 2016 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हार्ड कॉपी में अपील/अंतर्विस्तीय आवेदन/उत्तर/प्रत्युत्तर आदि दाखिल करेंगे। ऑनलाइन फाइलिंग और हार्ड कॉपी का उचित पृष्ठांकन के साथ मिलान होना चाहिए। कोर्ट शुल्क का भुगतान भारत कोष

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संकेत कुमार अग्रवाल एवं ए.एन.आर बनाम एपीजी लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड

(<https://bhartkosh.gov.in>) के माध्यम से किया जाएगा और भुगतान रसीद संलग्न की जानी चाहिए।

18. इसके बाद, 21 अक्टूबर 2022 को, एनसीएलएटी के रजिस्ट्रार ने अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के उद्देश्य से सीमा की गणना के संबंध में एक और आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि एनसीएलएटी नियम 2016 के नियम 22 में प्रस्तुतिकरण का प्रावधान है।

एनसीएलएटी के फाइलिंग काउंटर पर अपील के नियम 103 इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से अपील या कार्यवाही दाखिल करने की अनुमति देता है। 3 जनवरी 2021 की एसओपी में विज्ञापन के बाद आदेश इस प्रकार इंगित करता है:

“अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा जारी किए गए एसओपी और निर्देशों में सीमा की गणना के संबंध में कोई निर्देश नहीं है कि क्या एनसीएलएटी नियम, 2016 के नियम 22 के अनुसार, सीमा की गणना अपील की ई-फाइलिंग की तारीख से की जानी है या उस तारीख से जब अपील अपीलीय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।। इसलिए सक्षम प्राधिकारी ने अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने के प्रयोजनों के लिए सीमा की गणना के संबंध में एनसीएलएटी नियम, 2016 के नियम 104 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निर्देश जारी करने का निर्णय लिया है। . इसलिए, अपील में सीमा की गणना के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं:

- (1) परिसीमा अवधि की गणना एनसीएलएटी नियम, 2016 के नियम 22 के अनुसार अपील प्रस्तुत करने की तारीख से की जाएगी।
- (2) एनसीएलएटी नियम, 2016 के नियम 22 के अनुसार अपील दाखिल करने की अनिवार्यता के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा अपील दाखिल करने की आवश्यकता जारी रहेगी।
- (3) यह आदेश 1 नवंबर, 2022 से प्रभावी होगा।

सभी संबंधित यह सुनिश्चित करेंगे कि अपीलें एनसीएलएटी नियम 2016 के नियम 22 के अनुसार फाइलिंग काउंटर पर सीमा अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएं।

19. उपरोक्त आदेश दिनांक 21 अक्टूबर 2022 इंगित करता है कि एनसीएलएटी द्वारा जारी किए गए एसओपी और निर्देशों में सीमा की गणना के लिए कोई प्रावधान नहीं था, विशेष रूप से इस पर कि क्या सीमा की गणना ई-फाइलिंग की तारीख के संदर्भ में की जानी है या उस तारीख से, जिस दिन नियम 22 के संदर्भ में एनसीएलएटी के

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संकेत कुमार अग्रवाल एवं ए.एन.आर बनाम एपीजी लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड

समक्ष अपील प्रस्तुत की जाती है। इसलिए, नियम 104 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित किया गया था कि परिसीमा की अवधि की गणना प्रस्तुति की तारीख के संदर्भ में की जाएगी। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा अपील दायर करने की आवश्यकता को नियम 22 के तहत अपील दाखिल करने की अनिवार्यता के साथ जारी रखने का निर्देश दिया गया था। 21 अक्टूबर 2022 का आदेश 1 नवंबर 2022 से प्रभावी होना था।

20. आखिरकार, 24 दिसंबर 2022 को एनसीएलएटी के रजिस्ट्रार द्वारा निम्नलिखित शर्तों में एक और आदेश जारी किया गया:

“यह देखा गया है कि अपीलें देश के विभिन्न हिस्सों से ई-दायर की जाती हैं, जहां कुछ मामलों में अपीलकर्ता दूर स्थानों पर स्थित होता है और भौतिक प्रति दाखिल करने में समय लगता है। यह भी देखा जाता है कि ई-फाइलिंग के सात दिनों के भीतर भौतिक प्रति दाखिल की जाती है। इसलिए, अपील में सीमा की गणना के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं: -

(1) आदेश एफ.सं.10/37/2018-एनसीएलएटी दिनांक 21.10.2022 को वापस लिया जाता है और इस आदेश द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

(2) सीमा की गणना ई-फाइलिंग की तारीख से की जाएगी। ई-फाइलिंग के 7 दिनों के भीतर हार्ड कॉपी दाखिल करनी होगी। हालाँकि, सक्षम प्राधिकारी किसी अप्रत्याशित आवश्यकता के मामले में हार्ड कॉपी दाखिल करने की अवधि बढ़ाने के लिए सूचित करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे मामले में जहां हार्ड कॉपी 7 दिनों के बाद दायर की जाती है, अपील उचित आदेश के लिए ट्रिब्यूनल के समक्ष रखी जाएगी।

(3) एनसीएलएटी नियम, 2016 के नियम 22 के अनुसार अपील दाखिल करने की अनिवार्यता के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा अपील दाखिल करने की आवश्यकता जारी रहेगी।

(4) यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। सभी संबंधित यह सुनिश्चित करेंगे कि अपीलें एनसीएलएटी नियम, 2016 के नियम 22 के अनुसार फाइलिंग काउंटर पर सीमा अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएं।

21. इसलिए, 24 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि सीमा की गणना ई-फाइलिंग की तारीख के संदर्भ में की जाएगी, जबकि भौतिक प्रति ई-फाइलिंग के सात दिनों के भीतर दाखिल करनी होगी। आदेश स्पष्ट करता है कि एनसीएलएटी नियम

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संकेत कुमार अग्रवाल एवं ए.एन.आर बनाम एपीजी लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड

2016 के नियम 22 के संदर्भ में अपील दाखिल करने की अनिवार्यता के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा अपील दायर करने की आवश्यकता जारी रहेगी।

22. नियमों और प्रशासनिक आदेशों के उपरोक्त अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि एक तरफ, एनसीएलएटी नियम 2016 के नियम 22 में निर्धारित मोड में फाइलिंग काउंटर पर अपील की प्रस्तुति की आवश्यकता होती है, लेकिन दूसरी तरफ, एनसीएलएटी अपीलों की ई-फाइलिंग की भी परिकल्पना करता है। यह 3 जनवरी 2021 की एसओपी में स्पष्ट किया गया है, जो ईफाइलिंग पोर्टल का उपयोग करके वर्चुअल मोड के माध्यम से मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए एनसीएलएटी नियम 2016 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपील की एक भौतिक प्रति दाखिल करने को अनिवार्य करता है। 21 अक्टूबर 2022 के बाद के आदेश में स्वीकार किया गया है कि उस अवधि के संबंध में स्पष्टता का अभाव था जिसके संदर्भ में सीमा शुरू होगी। इसलिए, आदेश में कहा गया है कि परिसीमा अवधि की गणना नियम 22 के तहत अपील की प्रस्तुति की तारीख से की जाएगी। गौरतलब है कि उपरोक्त आदेश 1 नवंबर 2022 से प्रभावी होना था। वर्तमान मामले में, माना जाता है कि, अपील 10 अक्टूबर 2022 को ई-फाइल की गई थी और यहां तक कि एक भौतिक प्रति भी रजिस्ट्रार के 21 अक्टूबर 2022 के आदेश के प्रभावी होने की तारीख से पहले 31 अक्टूबर 2022 को दर्ज की गई थी। 21 अक्टूबर 2022 का आदेश बाद में 24 दिसंबर 2022 को वापस ले लिया गया। 24 दिसंबर 2022 का आदेश अब स्पष्ट करता है कि सीमा की गणना ई-फाइलिंग की तारीख से प्रभावी होगी, लेकिन ई-फाइलिंग के सात दिनों के भीतर एक भौतिक प्रति दाखिल करनी होगी।

23. वर्तमान मामले में, एनसीएलएटी द्वारा 26 अगस्त 2022 को आदेश सुनाया गया था। एनसीएलएटी नियम 2016 के नियम 3 में कहा गया है कि जिस तारीख से सीमा की अवधि की गणना की जानी है (यानी, की घोषणा की तारीख)। ऑर्डर को बाहर करना होगा। इसलिए, जिस तारीख को एनसीएलएटी द्वारा आदेश सुनाया गया था, यानी 26 अगस्त 2022 को परिसीमा की गणना से बाहर रखना होगा। यह परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 12(1) के अनुरूप है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, परिसीमा अधिनियम 1963 के प्रावधान, अन्य बातों के साथ-साथ, आईबीसी की धारा 238 ए के आधार पर एनसीएलएटी के समक्ष अपील पर लागू होते हैं। परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 12(1) इस प्रकार प्रदान करती है:

“12. कानूनी कार्यवाही में समय का बहिष्कार-

(1) किसी भी मुकदमे, अपील या आवेदन के लिए परिसीमा अवधि की गणना करते समय, जिस दिन से ऐसी अवधि की गणना की जानी है, उसे बाहर रखा जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संकेत कुमार अग्रवाल एवं ए.एन.आर बनाम एपीजी लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड

[...]"

24. 26 अगस्त 2022 के बीच, जब एनसीएलटी द्वारा आदेश सुनाया गया था, और 10 अक्टूबर 2022, जब अपील ई-फाइल की गई थी, उस तारीख को छोड़कर 45 दिनों की अवधि बीत गई जिस दिन आदेश सुनाया गया था। एनसीएलटी ने गलती से इस आधार पर आगे कदम बढ़ाया है कि अपील 46वें दिन दर्ज की गई थी, जबकि सही गणना के अनुसार अपील 45वें दिन दर्ज की गई थी। यह निम्न तालिका से स्पष्ट है:

क्रम संख्या	अवधि	दिन
1	26 अगस्त से 31 अगस्त के बीच	05
2	1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच	30
3	1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच	10
	कुल(05+30+10)	45

25. 30 दिनों की मूल अवधि से अधिक 15 दिनों तक की देरी को माफ करने की शक्ति एनसीएलटी की विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत है। अपील 45 दिनों की बाहरी सीमा के भीतर स्थापित की गई थी।

26. इसके अलावा, परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 12(2) के अनुसार, परिसीमा की अवधि की गणना करते समय अपील किए गए आदेश की एक प्रति प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय को बाहर रखा जाना चाहिए। धारा 12 का स्पष्टीकरण स्पष्ट करता है कि किसी आदेश की प्रति के लिए आवेदन करने से पहले उसे तैयार करने में न्यायालय द्वारा लिया गया समय शामिल नहीं किया जाएगा। धारा 12 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार प्रदान करता है:

“12. कानूनी कार्यवाही में समय का बहिष्कार.-

(1)....

(2) किसी अपील या अपील की अनुमति के लिए आवेदन या किसी निर्णय की समीक्षा या पुनरीक्षण के लिए परिसीमा की अवधि की गणना करने में, जिस दिन शिकायत की गई निर्णय सुनाया गया था और डिक्री की एक प्रति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय, जिस वाक्य या आदेश की अपील की गई है या जिसे संशोधित या समीक्षा करने की मांग की गई है, उसे बाहर रखा जाएगा।

(3)....

(4)....

स्पष्टीकरण.- इस धारा के तहत किसी डिक्री या आदेश की प्रति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय की गणना करते समय, न्यायालय द्वारा उसकी प्रति के लिए आवेदन करने से पहले डिक्री या आदेश तैयार करने में लिए गए किसी भी समय को बाहर नहीं किया जाएगा।

27. वी नागराजन (सुप्रा) मामले में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने देखा कि एनसीएलएटी नियम 2016 के नियम 22(2) में कहा गया है कि अपील को लागू आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ दायर किया जाना चाहिए। न्यायालय ने माना कि आदेश सुनाए जाने के बाद परिसीमा शुरू हो जाती है और अदालत द्वारा अपीलकर्ता को प्रमाणित प्रति प्रदान करने में लगने वाला समय शामिल नहीं किया जाएगा, जैसा कि परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 12(2) में स्पष्ट किया गया है, यदि अपीलकर्ता ने इसके लिए आवेदन किया हो आईबीसी की धारा 61(2) के तहत निर्धारित सीमा अवधि के भीतर एक प्रमाणित प्रति। मामले के तथ्यों में, इस न्यायालय ने माना कि अपील को सीमित कर दिया गया था क्योंकि अपीलकर्ता ने प्रमाणित प्रति सुरक्षित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था और केवल वेबसाइट के आदेश को अपलोड करने की तारीख पर भरोसा किया था। इस न्यायालय ने माना कि:

29. आईबीसी के तहत एनसीएलएटी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए प्रमाणित प्रति के सवाल पर, एनसीएलएटी नियमों के नियम 22(2) में कहा गया है कि अपील "आक्षेपित आदेश" की प्रमाणित प्रति के साथ दायर की जानी चाहिए। ...] इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि पार्टियां अपील दायर करने के लिए आवेदन करने और प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के अपने दायित्व से स्वचालित रूप से छुटकारा पा सकती हैं। एक बार आवेदन दायर करने के बाद प्रमाणित प्रति प्राप्त होने में किसी भी तरह की देरी की विधायिका द्वारा परिकल्पना की गई है और किसी वादी के अपील करने के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए इसे विधिवत रूप से बाहर रखा गया है।

30. [...]

31. परिसीमा अधिनियम की धारा 12 और उसके स्पष्टीकरण का तात्पर्य एक पक्ष पर आदेश की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन करने की जिम्मेदारी सौंपना है। अपील दायर करने के इच्छुक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह सीमा अवधि की समाप्ति से पहले प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन दायर करे, जिसमें प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए "अपेक्षित समय" को बाहर रखा जाएगा। हालाँकि, प्रतिलिपि के लिए आवेदन करने से पहले अदालत द्वारा डिक्री या आदेश तैयार करने में लगने वाले समय को खारिज नहीं किया जा सकता है। यदि प्रमाणित प्रति के लिए कोई आवेदन

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संकेत कुमार अग्रवाल एवं ए.एन.आर बनाम एपीजी लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड

नहीं किया गया है, तो कोई बहिष्कार नहीं किया जा सकता है। वास्तव में, प्रावधान का स्पष्टीकरण कानूनी स्थिति का एक स्पष्ट संकेतक है कि अदालत द्वारा डिक्री या आदेश तैयार करने में लगने वाले समय को प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए आवेदन करने से पहले खारिज नहीं किया जा सकता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि कंपनी अधिनियम की धारा 420(3) के तहत मुफ्त प्रति प्राप्त करने का अधिकार अपीलकर्ता पर एक आवेदन के माध्यम से प्रमाणित प्रति मांगने के दायित्व को समाप्त कर देता है। अपीलकर्ता ने आग्रह किया है कि एनसीएलएटी नियमों का नियम 14 एनसीएलएटी को पर्याप्त न्याय के हित में पार्टियों को किसी भी नियम की आवश्यकता के अनुपालन से छूट देने का अधिकार देता है, जिसका प्रयोग आमतौर पर प्रमाणित के बदले डाउनलोड की गई प्रतिलिपि की अनुमति देने के पक्ष में किया गया है। प्रतिलिपि, हालांकि यह सच हो सकता है कि प्रमाणित प्रति के साथ अपील दायर करने पर छूट अक्सर न्यायिक निर्धारण के प्रयोजनों के लिए दी जाती है, लेकिन वे आवेदक को अनुपालन से छूट देने और एनसीएलएटीआर नियमों के नियम 22(2) को निष्प्रभावी बनाने का स्वतः अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। [...]

(जोर दिया गया)

28. वर्तमान मामले में, प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन 2 सितंबर 2022 को दिल्ली से चेन्नई भेजा गया था, जो धारा 61(2) में निर्दिष्ट 30 दिनों की सीमा अवधि के भीतर 5 सितंबर 2022 को प्राप्त हुआ था। यह पहलू इस न्यायालय के समक्ष वी नागराजन (सुप्रा) के फैसले में प्राप्त तथ्यों के विपरीत है, जहां प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन भी दायर नहीं किया गया था। ताजा मामले में, अपीलकर्ता ने उचित परिश्रम किया और एनएलसीएटी नियम 2016 के नियम 22(2) के संदर्भ में आदेश की घोषणा पर प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया। प्रमाणित प्रति अपीलकर्ता को 15 सितंबर 2022 को प्रदान की गई थी। इसलिए, आईबीसी की धारा 61(2) के तहत सीमा की अवधि निर्धारित करते समय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदान करने के लिए अदालत द्वारा ली गई 5 सितंबर 2022 और 15 सितंबर 2022 के बीच की 10 दिनों की अवधि को बाहर रखा जाना चाहिए।

29. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि एनसीएलएटी ने सीमा के आधार पर अपील को खारिज करने में गलती की थी। अपीलकर्ता द्वारा 5 दिनों की अवधि (अपील दायर करने के लिए निर्धारित 30 दिनों की अवधि से अधिक) को माफ करने के लिए जो स्पष्टीकरण दिया गया था, वह हमारे विचार में पर्याप्त था और देरी को कानून के तहत माफ किया जाना चाहिए था।

संकेत कुमार अग्रवाल एवं ए.एन.आर बनाम एपीजी लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड

30. निष्कर्ष निकालने से पहले, हम इस बात पर प्रशासनिक मार्गदर्शन प्रदान करने में एनसीएलएटी की ओर से फ़िलप-फ़्लॉप को नोटिस करने में असफल नहीं हो सकते कि क्या सीमा ई-फाइलिंग की तारीख से शुरू होगी या फाइलिंग काउंटर पर अपील की प्रस्तुति से शुरू होगी। तकनीकी प्रगति के साथ, देश की न्यायपालिका और न्यायाधिकरणों को ई-फाइलिंग की ओर बढ़ना चाहिए। यह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और अपरिवर्तनीय है। केंद्र सरकार को न्यायाधिकरणों में ई-फाइलिंग को प्रोत्साहित करने के लिए नियमों पर नए सिरे से विचार करना चाहिए। शायद आगे बढ़ने का एक तरीका न्यायाधिकरणों में स्थिति का व्यापक मूल्यांकन करने और नियामक परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए एक कार्य समूह का गठन करना होगा। इसके अलावा, यह पूरी तरह से समझ से परे है कि एनसीएलएटी को ई-फाइलिंग के अलावा फिजिकल फाइलिंग पर जोर क्यों देना चाहिए। इससे वादियों और बार पर अनावश्यक रूप से बोझ पड़ता है और यह ई-फाइलिंग को हतोत्साहित करता है। एक वकील या वादी जो ई-फाइल दस्तावेजों के अलावा भौतिक प्रतियां दाखिल करने के लिए मजबूर है, उसके पास ई-फाइलिंग का सहारा लेने का कोई ठोस कारण नहीं होगा। प्रयास का यह दोहराव समय लेने वाला है। इससे खर्चा बढ़ जाता है। यह अपने पीछे कार्बन पदचिह्न छोड़ता है जिसे मिटाना मुश्किल है। न्यायिक प्रक्रिया परंपरागत रूप से कागजों की खपत करती रही है। यह मॉडल पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है। यदि कुछ न्यायाधीश ई-फाइलों को लेकर असहज हैं, तो इसका उत्तर यह है कि उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए और काम करने के पुराने और पुराने तरीकों को जारी न रखा जाए। न्यायपालिका को आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी के अनुरूप ढलना होगा। न्यायाधिकरण कोई अपवाद नहीं हो सकते। यह अब पसंद का मामला नहीं रह सकता। आईबीसी आर्थिक सुधारों में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसने दिवालियापन और दिवालियेपन से संबंधित कानून को मौलिक रूप से नया आकार दिया है। कानून को जिस तरीके से प्रशासित किया जाता है उसे प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल बिठाना होगा। केंद्र सरकार को अपनी नियम बनाने की क्षमता और न्यायाधिकरणों के प्रशासनिक प्रमुखों दोनों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में काम करने के लिए एक निर्बाध परिवर्तन सुनिश्चित करना चाहिए।

31. इस निर्णय की एक प्रति क्रमशः एनसीएलएटी के अध्यक्ष और केंद्र सरकार के सचिवों (i) वित्त; (ii) कॉर्पोरेट मामले; और (iii) कानून और न्याय, को अनुपालन और उपचारात्मक कदम सुनिश्चित करने के लिए अग्रसारित।

32. हम तदनुसार अपील की अनुमति देते हैं और 9 जनवरी 2023 के एनसीएलएटी के आदेश को रद्द करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संकेत कुमार अग्रवाल एवं ए.एन.आर बनाम एपीजी लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड

33. अपील को तदनुसार गुण-दोष के आधार पर निपटान के लिए एनसीएलएटी की फाइल में बहाल कर दिया जाए।

34. लंबित आवेदन(आवेदनों), यदि कोई हो, का निपटारा किया जाए।

अपील स्वीकृत

निधि जैन

(राखी, एलसीआरए द्वारा सहायता प्राप्त)

एस.एस.एफ